राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2688 / 2024

राकेश मेघवाल **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका कापरेन, जिला बूंदी।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 28.08.2024
आदेश की दिनांक : 04.09.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुधीर गुप्ता, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में सफाई कर्मचारी के पद पर नगर पालिका, कापरेन, जिला बूंदी में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण आलोच्य आदेश दिनांक 30.07.2024 के द्वारा कापरेन से उप निदेशक स्थानीय निकाय विभाग, कोटा के लिये कार्यमुक्त किया गया है। उनका कथन है कि उक्त आदेश को अधिकरण के समक्ष चुनौती दी गई, जिसे अधिकरण द्वारा दिनांक 06.08.2024 द्वारा उक्त आदेश की क्रियान्विति को स्थगित किया गया। उनका तर्क है कि उक्त आलोच्य आदेश अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका कापरेन द्वारा जारी किया गया है, जो सक्षम अधिकारी नहीं है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 के बिंदु संख्या 336 में यह स्पष्ट है कि एक नगर पालिका से दूसरे नगर पालिका में स्थानान्तरण हेतु राज्य सरकार द्वारा

स्थानान्तरण किया जा सकता है। जबकि उक्त आलोच्य आदेश अधिशाषी अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, जो असक्षम अधिकारी है। इस प्रकार उक्त आलोच्य आदेश असक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, जो नियम विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 27.08.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन सफाई कर्मचारी के पद पर नगर पालिका, कापरेन, जिला बूंदी में कार्यरत है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण आलोच्य आदेश दिनांक 30.07.2024 के द्वारा कापरेन से उप निदेशक स्थानीय निकाय विभाग, कोटा के लिये कार्यमुक्त किया गया है, जिसकी क्रियान्विति को अधिकरण द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 06.08.2024 के द्वारा स्थगित की गई। जहां तक अपीलार्थी के संबंध में जारी किया गया स्थानान्तरण आदेश दिनांक 27.08.2024 के द्वारा उसे नगर पालिका कापरेन से नगर पालिका कापरेन क्षेत्र के ग्राम बालापुर किये जाने का प्रश्न है, उक्त आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को नगर पालिका कापरेन क्षेत्र के बालापुर ग्राम में पदस्थापित किया गया है, जो नगर पालिका क्षेत्र के अंदर ही स्थानान्तरण किया गया है, जिसमें कोई नियम विरूद्धता प्रकट नहीं होती है। अपीलार्थी द्वारा अपील में उक्त आदेश को ही अपास्त किये जाने की प्रार्थना की गई है और इस प्रकार उक्त आदेश में कोई नियम/विधि विरूद्धता प्रकट नहीं होने के कारण हम हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। जहां तक आदेश दिनांक 30.07.2024 के द्वारा अपीलार्थी को नगर पालिका कापरेन से स्थानीय नगरीय निकाय विभाग, कोटा हेतु कार्यमुक्त किये जाने का प्रश्न है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 के बिंदु संख्या 336 के अंतर्गत अल्प वेतन भोगी/सफाई कर्मी को एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण किया जाना उचित नहीं है। चूंकि उनकी वरिष्ठता पर भी विपरीत प्रभाव पडता है। इस प्रकार उक्त आदेश के द्वारा अपीलार्थी कोटा के लिये कार्यमुक्त किया जाना नियम विरूद्ध है। इस प्रकार अपील आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी के स्थानान्तरण/पदस्थापन के लिये नियमानुसार जिले में करने हेतु स्वतंत्र है। अधिकरण द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 06.08.2024 की पुष्टि (confirm) की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य